आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 1	आदेश पर की गई कार्यवाही

उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

आर0एम0ए0 वाद सं0 49/2016–17

लखीराम हेम्ब्रम वगै0 –बनाम– माथुर मराण्डी वगै0

अपीलार्थीगणः–

1. लखीराम हेम्ब्रम, पे0–स्व0 मताल हेम्ब्रम,
2. गोपन हेम्ब्रम उर्फ गुपन हेम्ब्रम, पे0–स्व0 पिरू हेम्ब्रम,
3. चरण हेम्ब्रम, पे0–पिरू हेम्ब्रम, सभी सा0–लखीपुर जो–जो टोला, थाना–रांगा, जिला–साहेबगंज।

उत्तरवादीगणः–

1. माथुर मराण्डी, पे0–स्व0 मंडल मराण्डी,
2. मताल मराण्डी, पे0–स्व0 प्राण मरराण्डी,
3. मंडल मराण्डी, पे0–स्व0 मताल मराण्डी,
4. ढुल्लू मराण्डी, पे0–स्व0 मताल मराण्डी,
5. मुंशी मराण्डी, पे0–स्व0 मताल मराण्डी, सभी सा0–लखीपुर, थाना–रांगा, जिला–साहेबगंज।

–: आदेश :–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थीगण लखीराम हेम्ब्रम, पे0–स्व0 मताल हेम्ब्रम एवं अन्य सा0–लखीपुर, थाना–रांगा, जिला–साहेबगंज के द्वारा विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, रामजहल के न्यायालय के आर0ई0 वाद सं0 20/2010–11 दिनांक 28.09.2016 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर अपील वाद दायर किया गया एवं साथ ही कालक्षांति आवेदन धारा–5 के अन्तर्गत भी दाखिल किया। अपील आवेदन के अवलोकनोपरान्त कालक्षंति आवेदन को स्वीकृत करते हुए वाद अंगीकृत की गई। उत्तरवादी को विधिवत नोटिस निर्गत कर सूचना दी गई एवं अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल से आर0ई0 वाद सं0 20/2010–11 (माथुर मरांडी वगै0 –बनाम– लखीराम हेम्ब्रम वगै0) की मूल अभिलेख की माँग की गई।

नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। उत्तरवादी उपस्थित। अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के पत्रांक 256/रा0, दिनांक 29.05.2017 द्वारा मूल अभिलेख प्राप्त।

अपीलार्थी के द्वारा अभ्यावेदन दाखिल कर अंचल पतना अन्तर्गत मौजा लखीपुर थाना नं0–17 जमाबंदी नं0–109 कुल रकवा 61 बीघा 12 कट्ठा 17 धूर जमीन में से 1/3 अंश पर शांतिपूण भोग दखल में है। प्रश्नगत भूमि अपीलकर्त्ता सं0–01 लखीराम हेम्ब्रम का दादा लखीराम हेम्ब्रम (मृत) की शादी संथाली रिति रिवाज से घर जमाई खतियानी रैयत मझिया मराण्डी की पोती/पौत्री पुरगी मराण्डी (पुत्री), पिता–स्व0छोटका मराण्डी के साथ वर्ष 1949 में हुई है तथा अपीलकर्त्ता सं0–02 गोपन हेम्ब्रम एवं अपीलकर्त्ता चरण हेम्ब्रम का अपना दादा लखीराम हेम्ब्रम (मृत) से हुई थी।

आगे अपीलार्थी के द्वारा अपने अपील अभ्यावेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष 1949 से ही अर्थात अपीलकर्त्तागण का दादा लखीराम हेम्ब्रम पुरगी मराण्डी के पिता

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्यवाही
	छोटका मराण्डी के जीवित काल से ही प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा घर जमाई (दामाद) होने के अधिकार से रह रहे है। उसी समय से उक्त प्रश्नगत भूमि का जोत आबाद करते आ रहे है। अपीलार्थीगण प्रश्नगत भूमि का अवैध दखलकार नहीं है। इसलिए संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 42 लागू नहीं होना चाहिए। विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल द्वारा उच्छेदी आदेश पारित करना न्याय संगत नहीं है। अपीलार्थीगण द्वारा अपने अपील अभ्यावेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि खतियानी रैयत मझिया मराण्डी का कुल तीन पुत्र थे, जिनका नाम 1. छोटका मराण्डी, 2. परान मराण्डी एवं 3. मताल मराण्डी। परान मराण्डी का निसंतान मृत्यु हो चुकी है। छोटका मराण्डी के सिर्फ दो पुत्रियाँ थी, पुत्र नहीं थे। छोटका मराण्डी अपने भाई मताल मराण्डी को कहा कि तुम मेरा बुढ़ापा में देखभाल करना मताल मराण्डी द्वारा इन्कार कर दिया गया। इसलिए वापस में विचार विमर्श कर छोटका मराण्डी अपनी बड़ी पुत्री की शादी संथाली रिति रिवाज से घर जमाई शादी ग्रामीणों के उपस्थिति में लखीराम हेम्ब्रम, सा0–तालझारी, थाना–रांगा, जिला–साहेबगंज वाले के साथ दिनांक 25.05.1949 को कर दिया। प्रश्नगत भूमि मौजा लखीपुर कुल रकवा 61 बीघा 12 कट्ठा 17 धूर का 1/3 अंश जमीन अपीलकर्त्तागण के दादा लखीराम हेम्ब्रम (घर जमाई) की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र द्वारा जोत आबाद कर रहे है एवं छोटका मराण्डी के बनाये हुए मकान में परिवार के साथ निवास कर रहे है। आगे अपने अभ्यावेदन में यह भी उल्लेख किया है कि संथाल समाज में प्रचलित नियम एवं Custom है जब किसी की शादी घर जमाई रिति रिवाज से होती है तो उस घर जमाई को पुत्र का दर्जा प्राप्त होता है एवं घर जामई को उनके पिता के सम्पत्ति आदि से अधिकार या स्वामित्व समाप्त हो जाता है। अपीलार्थी के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के आर0ई0 वाद सं0 20/2010–11 दिनांक 28.09.2016 के पारित आदेश को अपास्त (Set-aside) करने का अनुरोध किया गयाा है। जवाब में उत्तरवादी का तर्क है कि अंचल पतना अन्तर्गत मौजा लखीपुर 17 जमाबंदी नं0–109 रकवा 61 बीघा 12 कट्ठा 17 धूर जमीन का खतियानी रैयत मंझिया मराण्डी, पे0–भगन मराण्डी, पे0–मझिया मरांडी के तीन पुत्र थे। खतियानी रैयत मझिया मरांडी के पुत्र छोटका मरांडी की पुत्री पुरगी मरांडी के घर जमाई का मनगढ़ंत फर्जी कागजात बनाकर प्रश्नगत भूमि पर दावा कर रहे है। संबंधित घर जमाई के कागज पर ग्राम प्रधान मोड़े मांझी, जोग मांझी एवं उस गाँव के गणमान्य व्यक्ति का हस्ताक्षर एवं संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा सत्यापित होना जरूरी है, जो कि उस घर जमाई के कागजात में कुछ ऐसा नहीं है एवं ग्राम प्रधान के मुहर भी नहीं है। आगे उन्होंने यह भी तर्क दिये कि वर्ष 1949 में जोल्हा मरांडी मोड़े माँझी थे, लेकिन उनका हस्ताक्षर भी हैं। उक्त घर जमाई कागज में मोड़े मरांडी के रूप में चुनक मुर्मू के नाम का उल्लेख है, जो एक मुहल्ले का मोड़े मरांडी है। चुनक मुर्मू का उम्र 52–54 वर्ष है, जबकि घर जमाई के कागजात 67–68 वर्ष पूर्व का है। योग मांझी शिक्षित है एवं नौकरी करते है, जिसका घर जमाई के कागज में हस्ताक्षर ना होकर टीप निशान है। आगे उत्तरवादी के तर्क है कि जिस घर जमाई के कागजात दाग नं0–2156, 1663, 2665, 1938 दिखा रहे है जो मौजा लखीपुर जमाबंदी नं0–109 के खतियान में है ही नहीं। इस प्रकार से अपीलार्थी द्वारा दाखिल घर जमाई के कागज गलत मनसा से जमीन को हड़पने के लिए बनाया गया है। छोटका मरांडी की पुत्री पुरगी मरांडी की शादी साधारण रीति रिवाज से हुई है, जिस कारण विपक्षी को प्रश्नगत भूमि पर कोई अधिकार एवं स्वामित्व नहीं है। उत्तरवादी के द्वारा अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकार कर विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के द्वारा आर0ई0 वाद सं0 20/2010–11 दिनांक 28.09.2016 के पारित आदेश को यथावत (Upheld) रखने हेतु अनुरोध किया गया हैं सुनवाई के दौरान अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। उत्तरवादी अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित।	

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 3	आदेश पर की गई कार्यवाही
	उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल से प्राप्त अभिलेख एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलाथीगण द्वारा लाया गया अपील वाद पतना अंचल अन्तर्गत मौजा लखीपुर के जमाबंदी नं0–109 रकवा 61 बीघा 12 कट्ठा 17 धूर भूमि का 1/3 अंश भूमि से विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल द्वारा उच्छेद करने से उच्छेदी आदेश के विरूद्ध लाया गया है। अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेज एवं अंचल अधिकारी, पतना के प्रतिवेदन के आधार पर प्रश्नगत भूमि का खतियान में मझिया मरांडी पे0–भगन मरांडी का नाम दर्ज है। उत्तरवादीगण खतियानी रैयत के वारिशान है। अपीलाथीगण द्वारा प्रस्तुत घर जमाई कागजात को अवलोकन से यह तथ्य सामने आता है कि संबंधित घर जमाई दस्तावेज में कोई मोड़े मांझी या ग्राम प्रधान का मुहर नहीं है, जबकि घर जमाई कागजात में मोड़े मांझी या ग्राम प्रधान का मुहर रहना चाहिए एवं संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा सत्यापित भी नहीं है। इस प्रकार से घर जमाई का कागजात अपने आप में गलत दिखाई देता है, जिसके आधार पर घर जमाई शादी मानकर प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थीगण का दावा को सही मानना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतएव उपरोक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के द्वारा आर0ई0 वाद सं0 20/2010–11 दिनांक 28.09.2016 को पारित आदेश को वैध मानते हुए यथावत (Upheld) रखा जाता है। अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारीज किया जाता है। पारित आदेश की प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल एवं अंचल अधिकारी, पतना को भेजें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। उपायुक्त साहेबगंज। उपायुक्त साहेबगंज।	

Digitally signed by RAMNIWAS YADAV
Date: 2022.11.23 13:03:46 +05:30
Location: 192.168.29.209